बार-बार निराधार आरोपों से जनाधार नहीं बढ़ेगा

दो टूक

हाल ही में दिल्ली में आई बाढ़ के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को दोषी ठहराया है। इसके बाद इस विषय पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में पिछले तीन दिन से बारिश नहीं हुई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर दिल्ली की बारिश से नहीं बढ़ा, बल्कि हरियाणा के हथिनी कुंड से छोड़े गए लगातार पानी की वजह से बढ़ रहा है। यानी दिल्ली में आई बाढ़ के लिए, वहां की जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होना और यमुना के प्राकृतिक बहाव वाली भूमि पर बेतरतीब बनाई गई इमारतें जिम्मेदार नहीं है। बल्कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जिम्मेदार है।

इन आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, हथिनी कुंड बांध नहीं बैराज है। बांध में पानी रोका जा सकता है, लेकिन बैराज में पानी रोकने की व्यवस्था नहीं होती। इन आरोप-प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दरअसल, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1996 में सिंचाई उद्देश्यों की पूर्ती के लिए शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन वर्ष 1999 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने किया था। यहां उत्तराखंड और हिमाचल में हुई बारिश का पानी सीधा पहुंचता है। इसकी क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी की है। इससे अधिक होने पर पानी छोड़ना मजबूरी है। अन्यथा बैराज को भारी नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली को पानी की 60% आपूर्ति इस बैराज से ही होती है।

दरअसल, हथिनीकुंड बैराज का काम यमुना नदी के पानी का बंटवारा करना है, रोकना नहीं। यमुना नदी की मुख्य धारा के अलावा हथिनी कुंड बैराज से दो नहरें निकलती हैं।

इनमें से एक को पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी को पूर्वी यमुना नहर कहा जाता है। पूर्वी यमुना नहर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, शामली और बागपत में सिंचाई करते हुए अंत में दिल्ली पहुंचती है। ऐसे ही पश्चिमी यमुना नगर, हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल को होते हुए दिल्ली आती है।

केंद्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर हथिनी कुंड बैराज में पानी का प्रवाह एक लाख क्यूसेक से अधिक हो जाए तो पानी पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नगर में बड़े पत्थरों के कारण प्रवाहित नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसा करने पर बैराज को नुकसान पहुंचेगा।

यह बात तो स्पष्ट हो गई कि दिल्ली सरकार के आरोपों में वजन नहीं है। हर बार अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे पर नहीं फोड़ा जा सकता। हवा खराब तो हरियाणा जिम्मेदार, पानी आया तो हरियाणा जिम्मेदार बार-बार ऐसे निराधार आरोपों से सुर्खियों में तो बना रहा जा सकता है। लेकिन जनाधार नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे भी अगले वर्ष लोकसभा के साथ-साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।

-रवि प्रताप सिंह

सोनीपत के 2 दिवसीय दौरे दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा–

कांग्रेसराज में चलता था भ्रष्टाचार का उद्योग, हमने उसे बंद किया

■ **कांग्रेस की घोषणाओं की घर में ही स्वीकार्यता नहीं**

खेवड़ा में कार्यक्रम दौरान पैरालिम्पिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल को शाबाशी देते मनोहर लाल।

सोनीपत, 17 जुलाई (दीक्षित): मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता हर रोज मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर सोते हैं, वे कभी लोगों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोगों की भलाई के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कांग्रेस के लोगों की घोषणाओं की स्वीकृति उनके अपने घर में ही नहीं होती है। कांग्रेस का एक नेता घोषणा करता है तो दूसरा कहता है कि यह उनकी अपनी घोषणा हो सकती है, पार्टी की नहीं है।

मुख्यमंत्री लगातार दूसरे दिन सोनीपत में रहे। उन्होंने खेवड़ा, मुरथल, सैक्टर-15 व सैक्टर-23 में अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और अन्य पार्टियों के कई नेताओं को भाजपा में शामिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहते हैं। रात को तो मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सपना टूट जाता है। अगले दिन कोई और मुख्यमंत्री बनने का सपना लेता है। कांग्रेस खेमों में बंटी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े 8 साल में स्वच्छ सरकार के तौर पर काम किया है। भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार रही है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर नकेल कसने के साथ-साथ प्रदेश में पारदर्शिता और भेदभाव का खात्मा करने वाली भाजपा ही है। प्रदेश सरकार ने नौकरियों, तबादलों, सी.एल.यू. में पारदर्शिता के साथ काम किया है। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार रूपी एक बड़ा उद्योग चलता था। उसको बंद कर जो भी चीजें सामने आईं उनको हमने तुरंत बंद किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार, जातिवाद, भतीजावाद का अंत कर नौकरियों में भी पारदर्शिता लाई है। आज सरकार योग्यता के आधार पर नौकरियां दे रही है जिसके फलस्वरूप आज उन गरीब परिवारों के बच्चे भी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं जिन्होंने कभी सपनों में भी सरकारी नौकरियों बारे नहीं सोचा था।

हरियाणा में अधिकतर योजनाओं को ऑनलाइन कर परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है ताकि लोगों को घर बैठे ही उनका फायदा दिलाया जा सके, जिसके लिए वे पात्र हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की राजनीति में जातिवाद को कोई स्थान नहीं है क्योंकि पहले राजनेता लोगों को जाति के आधार पर बांटते थे लेकिन जब से देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है उन्होंने जातिवाद का खात्मा कर हर बिरादरी को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है। गांव खेवड़ा के लाडले सुमित आंतिल ने पैरिस में विश्व पैरा एथलैटिक्स चैंपियनशिप की भाला फैंक स्पर्धा में अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश व प्रदेश का मान बढ़ाया। एफ-64 भाला फैंक स्पर्धा में 70.83 मीटर भाला फैंक अपने पुराने रिकॉर्ड 70.17 मीटर में सुधार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

इस सफलता के साथ ही सुमित पैरिस 2024 पैरालिम्पिक के लिए कोटा हासिल करने वाले चौथे भारतीय बने। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने खेवड़ा गांव में कार्यक्रम दौरान उन्हें मंच पर बुलाया और शाबाशी दी। उन्होंने सुमित को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।

आपदा में राजनीति की नहीं लेकिन कमियों को दूर करने की जरूरत: हुड्डा

चंडीगढ़, 17 जुलाई (बंसल): नेता प्रतिपक्ष एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आपदा में राजनीति की जरूरत नहीं है लेकिन कमियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए हरियाणा सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, वह नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरपंचों ने बताया कि ड्रेन व सीवरेज की सफाई नहीं हुई। यमुना के साथ जो ठोकर लगाई जाती है, वह 9 साल से नहीं लगाई गई। दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई कर दिया। जिसकी वजह से यमुनानगर, शाहबाद, रादौर अंबाला तक का इलाका ज्यादा पानी में डूब गया। उन्होंने कहा कि हांसी-बुटाना नहर को मजबूत किया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता।

आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा को दोषी ठहराने पर उन्होंने कहा कि हथनीकुंड बैराज है, डैम नहीं, ज्यादा पानी आता है, तो छोड़ना ही होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे में हरियाणा भी हिमाचल को जिम्मेदार ठहरा देगा, पानी ज्यादा आया है, पीछे से लेकिन जो तैयारी दिल्ली सरकार की होनी चाहिए थी, वह नहीं थी।

उन्होंने कहा कि सरकार को 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से का बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा देना चाहिए, जिनका सामान खराब हुआ, उनको भी मुआवजा देना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के एन.डी.ए. की बैठक में शामिल होने पर हुड्डा ने कहा कि यह गठबंधन नीति के आधार पर नहीं, यह स्वार्थ के आधार पर है और हरियाणा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर हुड्डा ने कहा कि बैठक हो रही है, अच्छा कदम है, प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए।

बल्लभगढ़ बना करप्शन कैपिटल : नीरज शर्मा

प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए विधायक नीरज शर्मा व पूर्व विधायक शारदा राठौर। (शिवम शर्मा)

फरीदाबाद, 17 जुलाई (महावीर/सूरजमल) : पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बल्लभगढ़ में है इस मामले को जब विधानसभा में उठाया जाता है तो स्थानीय मंत्री यह कह कर भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव करते हैं कि विधायक नीरज शर्मा उन्हें डरा रहे हैं यह कहना था विधायक नीरज शर्मा का शर्मा आज बल्लभगढ़ के नाहर सिंह पैलेस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। दस्तावेजों के माध्यम से विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया की नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले में सबसे ज्यादा घोटाला बल्लभगढ़ में हुआ है और यह घोटाला हरियाणा में सबसे ज्यादा है। बल्लभगढ़ फिलहाल करप्शन कैपिटल बन गया है श्री शर्मा ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार की अपनी एजेंसी यह रिपोर्ट दे रही है की नगर निगम में 184 करोड रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है इसके बावजूद मंत्री इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। शर्मा ने कहा कि नगर निगम घोटाले के ठेकेदार सत्यवीरा के खाते से जो गाड़ियां खरीदी गई, सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और बताना चाहिए कि वह गाड़ियां कहां कहां चली और किस किस नेता या अधिकारी ने उन्हें इस्तेमाल किया।

सतबीरा के खाते से हवाई जहाज की टिकट खरीदी गई जिनके माध्यम से बहुत सारे नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने व उनके परिवारों ने विदेश यात्राएं की इसको भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंत्री मूलचंद शर्मा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया जिसमें कार्यकर्ताओं को जाकर एक-एक वोटर से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन अगर इन्हीं कार्यकर्ताओं को नगर निगम के इन कामों की सूची पकड़ा दी जाती और उनसे कहा जाता इनकी जांच करके बताएं तो हो सकता है यह भ्रष्टाचार समय रहते उजागर हो जाता।

संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक शारदा राठौर ने मंत्री मूलचंद शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार भ्रष्टाचार के पैसे से बड़े-बड़े होटलों का निर्माण हो रहा है सरकार को इस संबंध में जांच करानी चाहिए कि उनके पास एमएलए बनने से पहले कितने होटल थे और मंत्री बनने के बाद होटलों की संख्या कितनी हो गई है। राठौर ने नैतिकता के आधार पर बल्लभगढ़ में हुए इन घोटालों के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के इस्तीफे की मांग की और साथ ही सरकार से इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को लेकर मैं बल्लभगढ़ में एक-एक घर में जाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने चुनकर विधानसभा में भेजा उसने जनता के रुपयों का किस तरह दुरुपयोग किया।

Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University
Dabwali Road, Bathinda (Punjab)-151001
(Estb. by Punjab Government vide Punjab Act. No. 5 of 2015 & under section 2 (f) & 12B of the UGC Act)

Admission Notice for Ph.D. (Semester. July-Dec. 2023)
Applications are invited from research-oriented prospective Post-Graduate Candidates for admission to full-time/part-time Ph.D. program for various Disciplines in the following Faculties for the session 2023-24 (Summer).

Faculty of Engg. & Tech.	Civil Engg; Computer Sc. & Engg; Electrical Engg., Electronics & Communication Engg. Mechanical Engg. Textile Engg.	
Faculty of Sciences	Physics, Mathematics, Chemistry, Computational sciences, Food Science & Technology	
Faculty of Architecture & Planning	Architecture & Planning	Last date of submission of admission form : 04.08.2023 (Friday)
Faculty of Pharmacy	Pharmacy	Ph.D. Entrance Test 08.08.2023 (Tuesday)
Faculty of Commerce & Management	Management	Test Exempted Category also to apply

University Fellowship @15000/Month Available
Helpline : 87250-72343, 87250-72492, or email : deanrnd@mespu.ac.in
For more details, visit : www.mespu.ac.in Dean (R &D)
(DPR/NA/12/17646/2023/25935)

थाना एचटीएम हिसार जिला हिसार
मु. नं. 264 दिनांक 16.04.2023 धारा 346 IPC थाना एचटीएम हिसार

कार्यालय पुलिस अधीक्षक हिसार

नाम : टोराली
माता-पिता का नाम : रूपा व राजू
पति का नाम : राजीव
पता : गली नं. 1 भारत नगर हिसार
उम्र : 20 साल
कद : 5, 5.2 इंच
हुलिया : गुमशुदा व्यक्ति का विवरण : चेहरा लम्बूतरा, रंग सांवला
गुमशुदा की पहचान : काले रंग की सूट व सलवार-टीशर्ट व पांव काले रंग के सैंडल पहने हुए हैं।
कृपया सूचित करें :
प्रबंधक अफसर थाना एचटीएम हिसार मो. नं. 8814011309
अनुसंधानकर्त्ता मो. नं. 9991235200
चौकी एनएसएम हिसार, दिनांक 13.07.2023
(PRDH/1084/11/1609/2024/19445/218/6)

कार्यालय मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा

अनाज मंडी कुंजपुरा व खरीद केंद्र, घोड में आने वाली फसलों की झराई/सफाई से बचे हुए कूड़ा-कर्कट, पोटाश, पराली इत्यादि को ठेके के आधार पर नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। यह ठेका दिनांक 1.8.2023 से 31.07.2024 तक की अवधि के लिए होगा। इसकी नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 24.7.2023 दिन सोमवार को सुबह 11.00 बजे मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा के कार्यालय में की जाएगी। बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पहले मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा में रु. 50,000 बतौर धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी, धरोहर राशि 10.30 बजे तक ही ली जाएगी व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि उसी समय वापस कर दी जाएगी। विस्तृत जानकारी व शर्तों बारे मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। अन्य शर्तें मौके पर सुनाई जाएंगी।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी, मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा — प्रशासक, मार्कीट कमेटी, कुंजपुरा
(PRDH/1284/11/320/2024/19429/218/6)

कार्यालय नगर निगम करनाल
अल्प अवधि निविदा

नगर निगम करनाल द्वारा लगभग 50 दुधारू व गर्भवती गायों को बेचने की खुली बोली दिनांक 20.7.23 को दोपहर बाद 2.00 बजे नगर निगम करनाल की गऊशाला गांव फूसगढ़ में करवाई जानी है। इच्छुक बोलीदाता द्वारा खुली बोली से पहले राशि 10,000/-रु. बतौर सिक्योरिटी के रूप में मौके पर नगर निगम कार्यालय में जमा करवाने होंगे, बाकी नियम/शर्तें व अन्य संबंधित कागजात किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय में देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु दूरभाष नं. 0184-2254220, 8053800078 पर सम्पर्क करें।

मुख्य सफाई निरीक्षक, कृते आयुक्त, नगर निगम, करनाल
(PRDH/1078/11/356/2024/19450/218/6)

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	कोर्ट/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य का नाम निविदा सूचना	प्रारंभ तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपए में	कोर्ट निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/सम्पर्क विवरण/ईमेल
1.	नगर निगम गुरुग्राम	डी VIII एमडीपी के सेक्टोरियल के तहत सैक्टर-42, 27, 28 मालीपुर विहार, फरुखनगर विहार तक कोर्ट 34 के अलग क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की फराहमी, डीसिल्टिंग तथा सुदृढ़ीकरण	14.7.2023 21.7.2023	38.54 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9468201007 nssuhag@gmail.com
2.	नगर निगम गुरुग्राम	सैक्टर-57, एमडीपी गुरुग्राम में बूप नाला से सैक्टर-52, कर्नैलियर रोड तक बीएल कौशी रोड का निर्माण-2 कार्य	13.7.2023 4.8.2023	63.67 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9468201007 nssuhag@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in व www.etenders.hry.nic.in देखें। SAMVAD/13/2024/40/19437/I/218/6

मिशन वात्सल्य, जिला बाल संरक्षण इकाई
महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरी मंजिल, कंज्यूमर कोर्ट बिल्डिंग जींद
शुद्धिपत्र

मिशन वात्सल्य : हरियाणा के तहत चाइल्ड हैल्पलाइन (24 घंटे/सभी दिन संचालित) के जिला स्तर पर विभिन्न पदों को भरने हेतु दिनांक 15.7.2023 को विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था जिसे कुछ कमियां रह गई थीं। विभाग विज्ञापन पूर्व विज्ञापन, पद, योग्यता और सैलरी अनुभव भविष्य में शुद्धिपत्र दिनांक 15.7.2023 अनुसार समझा जाए।

Sr. No.	Position	Number of Post	Qualification & Experience Required	Salary
1.	Project Coordinator	01	Qualification : Post Graduate degree in Social Work/Sociology/Child Development/Human Rights/Public Administration/Psychology/Psychiatry/Law/Public Health/Community Resource Management from a recognized University with minimum 60% marks or Qualification Graduate in Social Work/Sociology/Child Development/ Human Rights/Public Administration/Psychology/ Psychiatry/Law/Public Health/Community Resource Managment from a recognized University with 2 years experience in Project formulation/implemention, monitoring and supervision in the preferably in the field of Women & Child Development/Social Welfare. Proficiency in Computers is required. Preference will be given to personnels of working in Emergency Helplines.	30000/- per month
2.	Counselor	01	Qualification Graduate in Social Work/Sociology/Psychology/ Public Health/Counseling from a recognized University with minimum 55% Marks Or Qualification PG Diploma in Counselling and Communication. from a recognized university with minimum 55% marks. Experience: Minimum 1 year of working experience with the Govt./NGO Preferably in the field of Women & Child Development. Proficiency in Computers is required. Preference will be given to personnels of working in Emergency Helplines.	19,000/- per Month
3.	Child Helpline Supervisor	4	Qualification : Graduate preferably in B.A.in Social Work/ Computer Sciences/Information Technology/Community Sociology/ Social Sciences from a recognised University with minimum 55% Marks. Experience : Minimum 1 year of working experience with the Govt/ NGO perferably in the field of Women & Child Development. Proficiency in Computers is required. Preference will be given to personnels of working in Emergency Helplines.	16000/- per month
4.	Case Workers	04	Qualification : 12th Passed from recognized School Board with minimum 50% Marks with Good Communication Skills. Experience : Minimum 1 year of working experience with the Govt./NGO perferably in the field of Women & Child Development. Preference will be given to personnels of working in Emergency Helplines.	15000/- per month

The age criteria for all the posts mentioned as above is 25-42 years.
विज्ञापन की अन्य सभी सामग्रियां यथावत रहेंगी।
(PRDH/1128/11/277/2024/19456/218/6) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जींद

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072023-247289
CG-DL-E-13072023-247289
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2947] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
No. 2947] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

का.आ. 3076(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में Greenfield Highway के कि.मी. 15 से कि.मी. 47 (सहारनपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अभिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में Greenfield Highway के कि.मी. 15 से कि.मी. 47 (सहारनपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नामः उत्तर प्रदेश — जिले का नामः सहारनपुर

क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नामः नकुड़					
गांव का नामः उत्तर प्रदेश के राजस्व ग्राम जमालाबाद व हरियाणा राज्य / उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य में भूमि (यमुना नदी के प्रभाव की भूमि)					
1	0	सरकारी (गवर्नमेंट)	एग्रीकल्चर	3 (हेक्टेयर)	3
				कुल	3

[फा. सं. 16002/NHAI/PIU/AMB/3A2]
अमय जैन, उप सचिव

पुलिस विभाग — जिला यमुनानगर
मुकदमा नम्बर 145 दिनांक 08.07.2023 U/S 346 IPC थाना बुडिया

गुमशुदा युवक की तलाश हेतु अपील। पता बताने वाले को दिया जाएगा उचित ईनाम

आमजन से यह अपील की जाती है कि फोटो में दिख रहे युवक का नाम सुमित कुमार पुत्र सुमेर चंद वासी कृष्ण का मार्ग थाना बुडिया है। जिसकी उम्र 33 साल है। यह युवक 7 जुलाई को अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए अपनी बाइक नम्बर HR-01 AF-3309 पर कहीं चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। जिस पर मुकदमा नम्बर-145 दिनांक 8.7.2023 U/S 346 IPC थाना बुडिया में दर्ज है। इस गुमशुदा युवक के बारे में किसी युवक को कोई पहचान या जानकारी या किसी ने इस युवक को कहीं देखा है तो तुरंत थाना प्रबंधक थाना बुडिया के मोबाइल नम्बर-8818000130 या थाना बुडिया के लैंडलाइन नम्बर-01732240664 या कंट्रोल रूम नम्बर 01732231305 पर सम्पर्क करें। इस व्यक्ति का पता बताने वाले को उचित ईनाम दिया जाएगा।

गुमशुदा का नाम/हुलिया : नाम सुमित, उम्र 33 साल, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, पतला शरीर, स्लेटी रंग की पैंट व फिरोजी रंग की टी-शर्ट, पैर में हवाई चप्पल पहने हुए है। गुमशुदा युवक की फोटो साथ है।

पी.आर.ओ. कार्यालय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर
(PRDH/1084/11/1608/2024/19422/218/6)

डैब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)
प्रथम तल, एस.सी.ओ. 33-34-35, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त स्थान आबंटित)
प्रपत्र सं. 3 [देखें रैगुलेशन-15 (1)(ए)/16(3)]

केस नं. : ओए/115/2023

डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम, 1993 के नियम 5 के सब रूल (2ए) के साथ पठित एक्ट की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत सम्मन

एक्स. नं. 17240

केनरा बैंक
बनाम
राजपाल पुत्र राम सरूप

से

(2) प्रतिवादी सं. 2 पाल सिंह @ राम पाल पुत्र राम स्वरूप @ राम सरूप निवासी गांव बुद्धनपुर आबाद, तहसील एवं जिला करनाल हरियाणा (जामन) पैन नं. BMKPR0402C मोबाइल नं. 94662-40073.

समन

चूंकि ओए/115/2023 1.4.2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी

चूंकि 2198771.08/- रु. के ऋणों की वसूली के लिए एक्ट (ओए) की धारा 19 (4) के तहत आपके खिलाफ दायर उक्त आवेदन पर इस माननीय ट्रिब्यूनल ने समन/नोटिस जारी किया है (दस्तावेजों की प्रतियों इत्यादि सहित आवेदन संलग्न है) एक्ट की धारा 19 की उपधारा (4) के तहत, आप, प्रतिवादियों को निम्न अनुसार निर्देशित किया जाता है :-

(i) समन के तामील होने के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि क्यों न मांगी गई राहत प्रदान की जाए।
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत वर्णित सम्पत्तियों तथा एसैट्स के अलावा अन्य सम्पत्तियों तथा एसैट्स के विवरण बताएं।
(iii) आपको मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत डिस्क्लोज की गई सम्पत्तियां व एसैट्स अथवा सुरक्षित सम्पत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन या निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि सम्पत्तियों की अटैचमैंट के लिए आवेदन सुनवाई व निपटान हेतु लंबित है।
(iv) आप ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित व डिस्क्लोज्ड सम्पत्तियों व एसैट्स तथा उन सम्पत्तियों जिन पर सुरक्षित ब्याज बनता है, की सामान्य कारोबार के अतिरिक्त, उनमें बिक्री, लीज या अन्य माध्यम से हस्तांतरण नहीं करोगे।
(v) आप सामान्य स्थिति में सुरक्षित सम्पत्तियों या अन्य एसैट्स व सम्पत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों के लिए भी जिम्मेदार होंगे तथा इस प्रकार से प्राप्त होने वाली प्राप्ति का इस तरह के सिक्योरिटी इंट्रस्ट धारक बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास जमा करवानी होगी।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि एक लिखित स्टेटमैंट जमा करवाएं जिसकी प्रति आवेदक को भी दी जाए तथा 8.9.2023 को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों जिसमें असफल रहने पर आवेदक की सुनवाई आपकी गैर-हाजिरी में करके उस पर फैसला कर दिया जाएगा।

18.4.2023 को मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मोहर के तहत जारी।

समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

R.D. COLLEGE OF EDUCATION
Mukandpur N.H. Road, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar
Ph. 9896205934, 9466862999
(Affiliated to MDU, Rohtak & Recognized by NCTE Jaipur)
E-mail ID : rdeducationsociety@gmail.com
Website : www.rdeducation.org

CORRIGENDUM

With reference to the Advertisement published in the newspaper The Times of India, The Tribune, Punjab Kesari on dated 12.07.2023, the e-mail address and website of the college is mentioned below for the applicants :
E-mail ID : rdeducationsociety@gmail.com
Website : www.rdeducation.org
PRESIDENT

सार्वजनिक सूचना

विषय : स्व. श्रीमति तृप्तिका देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह मलकपत मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी मकान नंबर 175, सैक्टर-3, रोहतक के स्वामित्व के रूप में हस्तांतरण होना।

रिकॉर्ड के अनुसार उक्त वर्णित प्रॉपर्टी के 100 प्रतिशत हिस्से की मालिक स्व. श्रीमति तृप्तिका देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह मलकपत मृत्यु दिनांक 06.09.2023 को हो गई थी। जिस नं. 384 दिनांक 08.09.2016 रजिस्टर्ड, सब रजिस्ट्रार रोहतक द्वारा की गई है। जिसके अनुसार उनके निम्नलिखित वारिस हैं : 1. अंकित मलकपत (पौत्र) 26 वर्ष।

अंकित मलकपत (पौत्र)पुत्र श्री प्रदीप सिंह मलकपत ने कानूनी वारिस होने के नाते उक्त प्रॉपर